

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 928] No. 928] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 3, 2008/आषाढ़ 12, 1930 NEW DELHI, THURSDAY, JULY 3, 2008/ASADHA 12, 1930

शहरी विकास मंत्रालय (दिल्ली प्रभाग) अधिसुचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2008

का.आ. 1617(अ).—यत: नीचे उल्लिखित क्षेत्र के बारे में दिल्ली मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव है, उन्हें दिल्ली विकास प्रधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार 2 नवम्बर, 2007 की सं. का.आ. 1863(अ) की सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित उक्त नोटिस की तारीख के तीस दिन के भीतर आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यत: केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया है ।

3. अत:, अब, उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख़ से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है, बशर्ते कि मौजूदा अनिधकृत कालोनी के साथ-साथ डिफेंस अपनी भूमि पर उचित सड़क मुहैया कराए।

जोन "के-II" में (i) द्वारका सेक्टर-10 में 6172 वर्ग मी. और (ii) द्वारका सेक्टर-10 में 8140 वर्ग मी. के निम्न क्षेत्र का भू-उपयोग

स्थान	क्षेत्रफल	भू-उपयोग (एमपीडी-2021)	भू–उपयोग परिवर्तित	सीमा
1	2	3	4	5
 सेक्टर-10,	(i) 6172 वर्ग	['] रिहायशी '	"सरकारी प्रयोग"	पूर्व : सीजीएचएस प्लाट
द्वारका जोन	मीटर	(आवासीय क्षेत्र	(वकीलों के चेम्बरों और	पश्चिम : सीआर/ईएसएस और 12 मी. चौड़ी सड़क
"के-II"		सुविधाएं)	मालखाने के निर्माण के	उत्तर : 30 मी. चौड़ी सड़क
		, ,	लिए जिला न्यायालय, द्वारका)	दक्षिण : जिला न्यायालय, द्वारका
	(ii) 8140 वर्ग	'वाणिज्यिक'		पूर्व : सामुदायिक केन्द्र भूमि एवं 30 मी. चौड़ं
	मीटर	(सामुदायिक केन्द्र)	सुविधाएं"	सड़क
		, .		पश्चिम: प्लाटेड विकास
				उत्तर : प्लाटेड विकास
				दक्षिण : चौड़ी सड़क
				[सं. के-13011/6/2007-डी डी आई बी
				पी. के. सांतरा, अवर सचि

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 2008

- S.O. 1617 (E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 1863 (E) dated 2nd November, 2007 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.
- 2. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.
- 3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India subject to the condition that proper road would be provided by Defence on their land along the existing unauthorized colony.

Modification:

The land use of the following areas measuring (i) 6172 sqm. in Sector-10, Dwarka and (ii) 8140 sqm. in Sector-10, Dwarka, in Zone 'K-II' are changed as per description listed below:—

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land Use changed to	Boundaries	
1	2	3	4	5	
Sector-10, Dwarka, Zone-'K-II'	(i) 6172 sqm.	'Residential' (Housing Area Facilities)	'Government use' (District Court, Dwarka for Construction of Lawyers Chambers and Malkhana)	West :	CGHS plots CR/ESS and 12 m wide road 30 m wide road District Court, Dwarka
	(ii) 8140 sqm.	'Commercial' (Community Centre)	'Public and Semi- Public Facilities'		Community Centre land and 30 m wide road
				West:	Plotted development
				North:	Plotted development
				South:	Wide road

[No. K-13011/6/2007-DDIB]

P. K. SANTRA, Under Secy.